भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2563

दिनांक 07.08.2024 को उत्तर देने के लिए

खदानों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी

†2563.श्री विजय कुमार हाँसदाक:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और विशेष रूप से झारखंड में विभिन्न खदानों में काम करने वाले तकनीशियनों और पर्यवेक्षी कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या संपूर्ण देश की खदानों में तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा खनन उद्योग में शिक्षित और सुप्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के अध्याय VII के अंतर्गत भूवैज्ञानिकों और खनन इंजीनियरों के रोजगार के प्रावधान शामिल किए गए हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भारत की खानों में अनंतिम औसत दैनिक रोजगार, पट्टाधारकों की रिपोर्ट के अनुसार 1,18,877 था। झारखंड में आईबीएम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खानों में वर्ष 2022-23 के दौरान अनंतिम औसत दैनिक रोजगार 9,505 था।

(ख): तकनीकी कर्मचारियों को संबंधित पट्टाधारकों द्वारा वैधानिक प्रावधानों और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नियोजित किया जाता है।

(ग): खानों में खनन इंजीनियरों के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए खान मंत्रालय ने खानों में नियोजित किये जाने खनन इंजीनियरों की योग्यता में छूट देकर दिनांक 03.11.2021 से खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 में संशोधन किया है। संशोधन के बाद, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा विधिवत् प्रदत्त खनन और खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा के साथ-साथ खान

सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी द्वितीय श्रेणी योग्यता प्रमाण पत्र या फोरमैन योग्यता प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति खनन इंजीनियर के रूप में नियोजित किये जाने के पात्र हैं।
